भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1177

सोमवार, 27 जुलाई, 2026 / 5 श्रावण, 1948 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

1177. श्री देवेश शाक्य:
श्री नीरज मौर्य:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण असंगठित क्षेत्र के कामगार, विशेषकर एटा-कासगंज और आंवला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में, ई-श्रम कार्डों को केवल पहचान-पत्र मानते हैं और उनसे संबद्ध बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन, नियमित लेखापरीक्षा और अपात्र पंजीकरण की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ई-श्रम के माध्यम से गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और संबंधित कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अंशदान को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) सृजित करने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों का पंजीकरण करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

ई-श्रम पोर्टल पर 31.81 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण पहले ही किया जा चुका है, जिसमें एटा लोकसभा क्षेत्र में 7.79 लाख, कासगंज में 6.43 लाख और आंवला लोकसभा क्षेत्र में 19.65 लाख पंजीकरण शामिल हैं।

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्राप्त करने हेतु असंगठित कामगारों के लिए 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' के रूप में ई-श्रम को विकसित करने संबंधी बजट घोषणा 2024-25 के दृष्टिकोण के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम-"वन-स्टॉप-

सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/ कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया जाना है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में उन्हें सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को ई-श्रम कार्डधारकों को लाभ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम का रोजगार के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अभिसरण पोर्टल के साथ संबद्धता है, जिससे ई-श्रम कार्डधारक अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं।

ई-श्रम पहल के तहत पंजीकरण को बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज और आंवला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित असंगठित कामगारों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण को सक्षम करने के अलावा, कामगारों के लिए सुगम पहुंच को सुकर बनाने हेतु सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता प्राप्त पंजीकरण मोड शुरू किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय लक्षित जागरूकता अभियान चला रहा है जिसमें पंजीकरण अभियान, सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम और स्थानीय रूप से तैयार किए गए संचार प्रयास शामिल हैं। पहुंच को और सुदृढ़ बनाने के लिए, मंत्रालय वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करता है, जिससे इस पहल को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जा सके।

ई-श्रम पोर्टल में, आधार-आधारित ई-केवाईसी के सफल प्रमाणीकरण के बाद ही पंजीकरण किए जाते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि दोहरे या फर्जी पंजीकरण प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएं। इसके अलावा, डेटा की प्रामाणिकता और सटीकता बनाए रखने के लिए नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्थायी पता और फोटोग्राफ जैसे मुख्य विवरण सीधे यूआईडीएआई से प्राप्त किए जाते हैं। ये उपाय सामूहिक रूप से पोर्टल की संपूर्णता की संरक्षा करते हैं और किसी भी दुरुपयोग को रोकते हैं।

पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा तथा उनसे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हो चुकी है।

यह संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित विषयों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने का उपबंध करती है। यह संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का उपबंध करती है, जिसके स्रोतों में से एक स्रोत एग्रीगेटर्स से प्राप्त अंशदान है जो किसी एग्रीगेटर द्वारा ऐसे कामगारों को किए गए भुगतान या देय राशि के 5 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन उनके वार्षिक टर्नओवर के 1 से 2% के बीच होगी। संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के प्रयोजनार्थ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी उपबंध है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 08.05.2026 को अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों तक औपचारिक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ये नियम केंद्र सरकार के पोर्टल पर गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण का अधिदेश देकर एग्रीगेटर्स को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कामगारों से संबंधित डेटा साझा करके, सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करते हुए तथा ऐसे कामगारों के लिए कल्याणकारी उपायों के संबंध में एग्रीगेटर्स की जवाबदेही को सुदृढ बनाकर संहिता के उपबंध को क्रियान्वित करते हैं।

जैसा कि संहिता में अधिदेश दिया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय अनिवार्य रूप से प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक व्यापक कल्याणकारी योजना को आगे बढ़ाने हेतु गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के सामाजिक सुरक्षा ढांचे के लिए एग्रीगेटर्स, नॉलेज पार्टनर्स, प्लेटफॉर्म कामगार संघों, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और अन्य संगठनों के साथ कई दौर का विचार-विमर्श किया है।
